

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।

मुकदमा सं०—56 / 2009

सरकार

बनाम

रामप्रसाद केवट

मु०अ०सं० 696 / 2008

धारा: 25 आयुध अधिनियम

थाना: आटा, जिला जालौन।

आरोप

मैं, दानवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, आप अभियुक्त **रामप्रसाद केवट** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ—

यह कि दिनांक 17.11.2008 को समय 10.30 बजे, स्थान जाकी दायी मंदिर से 50 मीटर दूर वहद ग्राम कहटा, थाना आटा, जिला जालौन में पुलिस बल द्वारा आपके कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा 315 कारतूस नाजायज बरामद किया गया, जिसका रखने का वैध लाईसेन्स आपके पास नहीं था। इस प्रकार आप ने आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

10.12.2020

(दानवीर सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।

अभियुक्त को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया।

अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

10.12.2020

(दानवीर सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।